



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 56]
No. 56]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 4, 1985/फाल्गुन 13, 1906
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 4, 1985/PHALGUNA 13, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य एवं पूंति मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 84-आई. टी. सी (पी. एन.), 84-85
नई दिल्ली, 4 मार्च, 1985

विषय :—उर्वरक और रसायन, ट्रांसनकोर लिमिटेड (एफ. ए. सी. टी.) की अग्रनियम गारंटेड और कंसेलिकेटम मयन परिचरजना के कार्यान्वयन के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ. ई. सी. एफ.) द्वारा दी गई 10 मिलियन के सेल क्रेडिट के अधीन माल और सेवाओं के आयात हेतु मंत्रालय में लायसंस शर्तें।

मि. मं. आई. पी. सी. 23(7)/8185-उपयुक्त विषय पर वाणिज्य एवं पूंति मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 84-आई. टी. सी. (पी. एन.)/84-85 दिनांक 21 फरवरी 1985 की जोर ध्यान आकषित किया जाता है।

2. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में निम्नलिखित सशोधन उचित स्थानों पर किए गए समझे जाएंगे।

क्रम सं.	संदर्भ	वर्णन
1	2	3
1.	खंड--1 पैरा--1(8)	प्रथम पंक्ति में शब्द "लागत बीमा भाड़ा" को शुद्ध करके "लागत भाड़ा" पढ़ा जाए।
2.	खंड--2	प्रथम पंक्ति में शब्द "लागत बीमा भाड़ा" को शुद्ध करके "लागत एवं भाड़ा" पढ़ा जाए।
3.	खंड-- पैरा--1(1)	उपखंड 3 (1) (घ) के नीचे निम्नलिखित खंड जोड़ा गया समझा जाए :—

(इ) यदि सभ्य जापान में रहता है तो संभरक उँके में यह उल्लेख होना चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय हुतावाक, टोकियो के परामर्श

1	2	3
खंड—3 पैरा—3(1) जारी		से पोतलदान के प्रबंध करने के लिए सहमत है और इस प्रयोजन के लिए वह निहित माल की डिलीवरी अनुसूची की सूचना भारतीय दूतावास, टोकियो को देगा और भारतीय दूतावास को अपेक्षित पोतलदान से कम से कम छ सप्ताह पूर्व अधिसूचित कराएगा ताकि उपर्युक्त प्रबंध किए जा सकें अपवाद के मामलों में, जहाँ भारतीय आयातक को इसकी आवश्यकता है, सूचना देने की यह अवधि कम कर दी जाए जापानी संभरक को प्रत्येक पोतलदान के बाद आवश्यक ब्यौरे देते हुए आयातक को केबिल से सूचना भेजने के लिए भी सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।”

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक,
आयात नियंत्रित

MINISTRY OF COMMERCE & SUPPLY

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 89-ITC/(PN)/84-85

New Delhi, the 4th March, 1985

Subject : Licensing Conditions in respect of imports of goods and services under the Yen credit of Yen 10.2 Billion for the implementation of the Ammonium Sulphate and Caprolectam Plan Project of the Fertilizers and Chemicals Travencore Limited (FACT) extended by the Oversease Economic Cooperation Fund (OECF) of Japan.

F. No. IPC/23(7)/84-85 :—Attention is invited to Ministry of Commerce & Supply Public Notice No. 85-ITC(PN)/84-85 dated 21st February, 1985 on the above subject.

2. In the Appendix to the aforesaid Public Notice, the following amendments will be deemed to have been made at appropriate place :—

S.No.	Reference	Amendment
1.	Section-I Para-I (viii)	In the first line, the word CIF may be corrected to read as C & F.
2.	Section II Para-II (i)	In the first line, the word CIF may be corrected to read as C & F.
3.	Section-III Para-III (i)	Below sub-clause-III(i)(d) the following clause may be deemed to have been added :— “(e) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian importer require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.”

P.C. JAIN, Chief Controller of Import and Exports